भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य कर विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 433

<u>दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

जिला निर्यात केन्द्र

433. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण कन्नड़ को सीफूड, काजू और नारियल से बनी चीजों जैसे उत्पादों के लिए जिला निर्यात केंद्र बनया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(बी) अंतरराष्ट्रीय रसद संबंधी चुनौतियों और माल ढुलाई शुल्क में उतार-चढाव के कारण होने वाली समस्याओं का सामना कर रहे निर्यातकों की मदद के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;
(ग) क्या सरकार का जिले में निर्यात सम्बंधी अवसंरचना को उन्नत बनाने का विचार है जिसमे बंदरगाह क्षमता में वृद्धि, और न्यू मैंगलोर बंदरगाह के साथ गोदाम सम्बंधी तालमेल शामिल है ताकि मोजूदा आपूर्ति श्रृंखला की कमियों को दूर किया जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या उत्पाद मूल्य-श्रृंखलाओं को घरेलू स्तर पर बनाए रखने और बाहरी बिचौलियों पर निर्भरता को कम करने के लिए कोई नीति या राजकोषीय प्रोत्साहन, जैसे रसद सब्सिडी, की शुरूआत की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): जिला निर्यात हब के रूप में दक्षिण कन्नड़ का प्रतिष्ठापन:

सरकार ने दक्षिण कन्नड़ को निर्यात हब के रूप में जिले (डीईएच) पहल के अन्तर्गत जिला निर्यात हब के तौर पर नामित किया है, जिसमें सीफूड और काजू को संभावित निर्यात उत्पादों के रूप में जोड़ा गया है। यह मान्यता जिले की मजबूत निर्यात क्षमता को रेखांकित करती है और देश भर में संतुलित और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चल

रहे प्रयासों के साथ संरेखित करती है। इस पहल के तहत पहचाने गए केंद्रित क्षेत्रों से स्थानीय उद्योग को और मजबूत करने, मूल्य वर्धित कार्यकलापों को बढ़ाने और क्षेत्र में उद्यमों के लिए बाजार के अवसरों का विस्तार होने की उम्मीद है। इस प्रतिष्ठापन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में बढ़ी हुई भागीदारी को बढ़ावा देना और जिले के भीतर दीर्घकालिक विकास की सहायता करना है।

(ख): लॉजिस्टिक्स व्यवधानों का सामना करने वाले निर्यातकों के लिए सहायता:

डीईएच पहल के तहत, सरकार ने रसद दक्षता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और माल ढुलाई अस्थिरता से उत्पन्न कमजोरियों को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रमुख मध्यस्थ्ताओं में शामिल हैं:

1. **जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपीएस):** जिला स्तर के सुधारों के लिए लक्षित सिफारिशों के साथ, कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दों, वेयरहाउसिंग घाटे, पैकेजिंग और परीक्षण बुनियादी ढांचे जैसे रसद अंतराल की पहचान।
2. **एसईपीसी और डीईपीसी का परिचालन:** राज्य और जिला निर्यात संवर्धन समितियां रसद मामलो को तुरंत हल करने के लिए जिला अधिकारियों, सीमा शुल्क, रसद प्रदाताओं, एमएसएमई निकायों और उद्योग संघों के बीच समन्वित कार्रवाई की सुविधा प्रदान करती हैं।
3. **बुनियादी ढांचा और रसद वृद्धि:** उपायों में फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी में सुधार, सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, भंडारण और परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाना और बंदरगाहों तथा शुष्क बंदरगाहों के लिए संबंधों को मजबूत करना शामिल है।
4. **ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना:** अमेज़न, शिपरॉकेट और डीएचएल जैसे प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी एमएसएमई को माल दर में उतार-चढ़ाव के लिये बफर हेतु लागत प्रभावी कूरियर और छोटी खेप शिपिंग विकल्प प्रदान करती है।
5. **डाक घर निर्यात केंद्र (डीएनके):** दस्तवेजीकरण, पैकेजिंग और छोटे पार्सल शिपमेंट के लिए डाक निर्यात सुविधाओं का विस्तार, रसद व्यवधान के दौरान वैकल्पिक चैनल प्रदान करना।
6. **क्षमता-निर्माण और आउटरीच:** डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकारी और जिला प्रशासक रसद स्कीम, निर्यात प्रक्रियाओं, पैकेजिंग मानदंडों और अनुपालन आवश्यकताओं पर निर्यातक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

7. **निर्यात निष्पादन की निगरानी:** उभरती चुनौतियों की पहचान करने और उत्तरदायी मध्यस्थताओं को सक्षम करने के लिए जिला-वार निर्यात डेटा का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है।

(ग): **निर्यात हब के रूप** में जिले (डीईएच) पहल के तहत, सरकार रसद, कनेक्टिविटी और वेयरहाउसिंग से संबंधित जिले-विशिष्ट निर्यात बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया कर रही है। दक्षिण कन्नड़ जिले के लिए, एक जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी) तैयार की गई है, जिसमें उन्नत निर्यात बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें न्यू मैंगलौर बंदरगाह के लिए पहले मील लिंकेज में वृद्धि, भंडारण और समेकन सुविधाओं में वृद्धि और पहचाने गए निर्यात उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचे की सहायता शामिल हैं।

इसके अलावा, जिला प्राधिकारियो, निर्यातकों, बंदरगाह प्राधिकारियो, सीमा शुल्क, रसद एजेंसियों और संबंधित राज्य और केंद्रीय विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई की सुविधा के लिए एक **जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी)** का गठन किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से, डीईएपी में पहचानी गई बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यकताएं- जिसमें पोर्ट से जुड़ी वेयरहाउसिंग और रसद सहायता शामिल हैं - को समुचित विचार के लिए संबंधित लागू करने वाली एजेंसियों के सामने उठाया जा रहा है।

डीईएच पहल यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुविधाजनक और परामर्शी ढांचे के रूप में कार्य करती है कि जिला स्तरीय निर्यात आवश्यकताओं के क्षेत्र में चल रहे और प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के विकास प्रयासों के साथ संरेखित किया जाए, जिसमें न्यू मंगलौर बंदरगाह से जुड़े लोग भी शामिल हैं, जिससे दक्षिण कन्नड़ जिले में समग्र निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा सके।

(घ) निर्यात हब के रूप में जिले (डीईएच) पहल, जिला स्तर की निर्यात क्षमता को मजबूत करने और स्थानीय मूल्य-श्रृंखला विकास की सहायता करने के उद्देश्य से एक सुविधाजनक ढांचे के रूप में कार्य करती है।

यह पहल नीचे दी गई जागरूकता के माध्यम से स्थानीय रूप से मूल्य-श्रृंखलाओं को बनाए रखने में सहायता करती है:

- **जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी):** प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परीक्षण और लॉजिस्टिक्स में मूल्य-श्रृंखला अंतराल की पहचान।
- **संस्थागत समन्वय:** डीईपीसी/एसईपीसी, बाधाओ को दूर करने के लिए प्राधिकारियों, निर्यातकों और संबंधित एजेंसियों के बीच सम्मिलन की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **बुनियादी ढांचा और क्षमता-निर्माण सुविधा:** मध्यस्थों पर निर्भरता को कम करने के लिए वेयरहाउसिंग, सामान्य सुविधा केंद्र, परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण और बाजार-पहुंच सहायता को बढ़ावा दिया जाता है।

****